

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद

*276. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरू ने त्रिवेदी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तर प्रदेश-बिहार की स्थायी सीमा निर्धारित की थी और उस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यरूप देने वाले विधेयक से दोनों राज्य महमत थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय को क्रियान्वित न करने के परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों की सीमा पर फसल काटने पर झगड़ा, हत्या तथा हिंसा की घटनाएँ हो जाना एक सामान्य बात हो गई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मार्च, 1967 के आरम्भ में बनिया (उत्तर प्रदेश) और शाहबाद (बिहार) सीमा पर हिंसात्मक घटनाएँ होने के कारण चार व्यक्ति मारे गये थे और संरक्षकों व्यक्ति घायल हो गये थे जिसके परिणामस्वरूप दोनों ओर के निवासी अपने गाँव छोड़ कर भाग गये और उनकी फसलों को लूटा जा रहा है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के शाहबाद जिले के बीच वर्तमान सीमा गंगा नदी की गहरी धारा है। यह सीमा नदी की बदलती हुई धार के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती है। श्री सी० एम० त्रिवेदी ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या इस सीमा के स्थान पर एक स्थिर सीमा निश्चित की जाये, और यदि हाँ तो वह सीमा क्या हो और एक स्थिर सीमा के बारे में सिफारिश भी की थी। इन सिफारिशों को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया

था और इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 3 के परंतुकों के अधीन दोनों राज्यों के विधान मंडलों को इन सिफारिशों के क्रियान्वय की दृष्टि से एक विधेयक भेजा गया। दोनों राज्यों के विधान मंडलों ने विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। संसद के अगले अधिवेशन में इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार है।

(ख) श्री त्रिवेदी के अपने सिफारिशों देने में पहले की सीमा के बदलते रहने के कारण दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में फसल काटने पर झगड़े हुये। ये झगड़े आम बात नहीं बन सके क्योंकि ये सिफारिशें क्रियान्वित नहीं हुईं।

(ग) बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी हाल ही में गंगा नदी के बिहार की तरफ बान तट पर एक घटना हुई जिसमें तीन व्यक्ति मारे गये और कुछ घायल हुये। बिहार सरकार के कथनानुसार घायल व्यक्तियों की संख्या नहीं बताई गई किन्तु यह संकड़ों में नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूचित किया है कि दियारा क्षेत्र में फूस के झोपड़ों में रहने वाले कुछ किसान इस घटना के बाद उस स्थान को छोड़ गये। दोनों राज्य सरकारों में से किसी ने भी फसल के लूटे जाने की सूचना नहीं दी।

बिहार में ईसाई धर्म-प्रचारकों की गतिविधियाँ

*277. श्री हुकूम खन्ड कड़वाव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के